न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– तेजस्वी राणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
044/2019 (RCMS 2019/00021)	25.02.2019	06.02.2020

अनवान

बाबुलाल पिता लेहरू माली उम्र 52 वर्ष निवासी माली मौहल्ला चित्तौड़गढ़ तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़।

वादी

बनाम

1. रामलाल पिता गोकल माली उम्र वयस्क निवासी माली मौहल्ला चित्तौड़गढ़ तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
2. रामेश्वरलाल पिता नंदलाल माली उम्र वयस्क निवासी माली मौहल्ला चित्तौड़गढ़ तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
3. नंदलाल पिता धूकल माली उम्र वयस्क निवासी माली मौहल्ला चित्तौड़गढ़ तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
4. मांगीलाल पिता भंवरलाल माली उम्र वयस्क निवासी माली मौहल्ला चित्तौड़गढ़ तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
5. नगर परिषद् जरिये आयुक्त नगर परिषद् चित्तौड़गढ़।
6. श्री सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ ।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–	अधिवक्ता श्री सीएम जणवा	वादी
	अधिवक्ता श्री छोगालाल जाट	प्रतिवादी संख्या 1
	अधिवक्ता श्री भैरूदास वैष्णव	प्रतिवादी संख्या 3–4
	पैरोकार सरकार	प्रतिवादी संख्या 6
	एक तरफा	प्रतिवादी संख्या 2–5

–:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधिनियम, 1955 बाबत् खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात राजस्व ग्राम चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी में दर्ज आराजी संख्या 1230 रकबा 0.04 हैक्टर आराजी संख्या 1231 रकबा 0.34 हैक्टर आराजी संख्या 1274 रकबा 0.25 हैक्टर आराजी संख्या 1276 रकबा 0.35 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.98 हैक्टर दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजीयात में से वादी द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.03.2001 से सह खातेदारान ओमप्रकाश पिता मोहनलाल सुनार रूपलाल पिता रामचन्द्र नामधराणी मदन मोहन पिता राधाकिशन खूंटिया एवं मांगीलाल पिता केशु माली से 2/105 वां हिस्सा क्रय कर मौके

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पर कब्जा प्राप्त किया जिसका राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद भी हो चुका है लेकिन वक्त पंजीयन वादी का नाम बाबूलाल पिता लेहरू माली के बजाय बापूलाल पिता लेहरू माली दर्ज कर दिया उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो जाने से लगातार वादी का नाम बाबूलाल के बजाय बापूलाल ही जमाबंदी में दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी के पहचान के समस्त दस्तावेज में बाबूलाल पिता लेहरू माली के नाम से ही बने हुए है एवं वादी को उसी नाम से गांव एवं समाज में जाना व पहचाना जाता है इसलिए वक्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम बाबूलाल पिता लेहरू माली दर्ज किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान कराई जावें एवं उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने हेतु यह वादपत्र बाबत् खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का श्रीमान् के समक्ष पेश है। वाद वर्णित आराजीयात में से जो हिस्सा वादी द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया गया उक्त हिस्से में बापूलाल पिता लेहरू माली वादी के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति नहीं है न ही किसी अन्य के द्वारा यह कृषि भूमि क्रय की गई है जिससे वादी उक्त राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त कराने का अधिकारी होने से यह वाद पत्र श्रीमान् के समक्ष बाबत् खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती हेतु पेश है। बिनाय मुखास्मत वाद कारण दिनांक 28.01.2019 को मुझ वादी द्वारा अपने क्रयशुदा भूखण्ड का आबादी में रूपान्तरण हेतु पटवारी हल्का से नकल प्राप्त करने पर उक्त त्रुटि की जानकारी होने से पैदा होकर निरंतर जारी है। प्रतिवादी संख्या 5 नगर परिषद् आराजीयात में सह खातेदार होने से एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का हिस्सा मौके पर अरूपान्तरित होकर कृषि उपयोग का होने से व दिगर प्रतिवादीगण द्वारा अपने हिस्से का रूपान्तरण करवा लिया जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 5 के नाम पर दर्ज होने से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है जिनके विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। वाद मालियत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती हेतु 100000/– रूपये पर कायम की जाकर वादपत्र वादीगण निश्चित न्यायशुल्क पर पेश है। पक्षकार व आराजीयात न्यायालय आपके क्षेत्राधिकार में स्थित होने से व वादपत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय आपको होने से वादपत्र वादी पेश है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादपत्र पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम बापूलाल पिता लेहरू माली के बजाय बाबूलाल पिता लेहरू माली करने की घोषणात्मक डिक्री प्रदान कराई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जावें। पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में बापूलाल पिता लेहरू माली के बजाय बाबूलाल पिता लेहरू माली का इन्द्राज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावें।

इस पर वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। इस पर दिनांक 21.11.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 की और से उनके अधिवक्ता छोगालाल जाट ने अधिकार पत्र पेश किया। दिनांक 11.12.2019 को प्रतिवादी संख्या 3–4 की और से उनके अधिवक्ता भैरूदास वैष्णव ने अधिकार पत्र पेश किया एवं प्रतिवादी संख्या 3–4 की और से इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया जो कि दिनांक 30.01.2020 से रिकार्ड पर है। दिनांक 11.12.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 की और से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी का प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली होकर दिनांक 30.01.2020 से रिकार्ड पर है। दिनांक 30.01.2019 को प्रतिवादी संख्या 2–5 के हाजिर जाहिर नहीं रहें। प्रतिवादी संख्या 1 के और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 में प्रतिवादी(प्रार्थी) ने निवेदन किया कि वादी ने न्यायालय में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.03.2001 के संबंध में घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया है जो श्रीमान् के न्यायालय में विचाराधीन है। वादी स्वयं में प्रार्थी से जो रजिस्टर्ड बहनामा निष्पादित करवाया है जिसमें स्वयं का नाम क्रेता संख्या 5 के रूप में बापूलाल पिता लेहरू माली अंकित करवाया है व इसी नाम से पंजीकृत होकर नामांतरकरण स्वीकृत हुआ है। वादी ने पंजीकृत बहनामें को अवैधानिक मानते हुए घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का वादपत्र प्रस्तुत किया है जबकि पंजीकृत बहनामें को अवैध व शून्य करार दिए जाने का अधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है फिर भी वादी ने बिना क्षेत्राधिकार के श्रीमान् के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 के तहत वाद प्रस्तुत किया है जो पंजीकृत बहनामा को संशोधित कराए बगैर श्रीमान् के न्यायालय में चलने योग्य नहीं है ऐसी स्थिति में वादी की और से प्रस्तुत वादपत्र ''बार्ड बॉय लॉ'' होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी की और से प्रस्तुत वादपत्र क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निरस्त फरमाए जाने का आदेश प्रदान करावें। प्रार्थना पत्र की नकल वकील वादी को पूर्व में दिलवाई जा चुकी थी। पत्रावली पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी का रिकार्ड पर होने से सर्वप्रथम इस प्रार्थना पत्र को निर्णित किये जाने के आज्ञापक प्रावधान विधि अनुसार है ऐसी स्थिति में पत्रावली पर अग्रिम कार्यवाही को रिजर्व की जाकर सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 में कार्यवाही की गई। दिनांक 30.01.2020 को उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर आयें। वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस प्रार्थना पत्र का निवेदन किया गया। इस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस पत्रावली को उभयपक्ष सुना गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस पर चिंतन, मनन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी (वादपत्र के प्रतिवादी) ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में चाही दाद रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.03. 2001 के संबंध में है, एवं पंजीकृत विक्रय के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है ऐसी स्थिति में वादी पंजीकृत बहनामें को अवैध व शून्य करार सक्षम न्यायालय से नहीं करा लेता जब तक वादी किसी भी प्रकार के अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। एवं पंजीकृत बहनामा दिनांक 27.03.2001 को संशोधित कराए बगैर यह वाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पोषणीय नहीं है। क्योंकि पंजीकृत बहनामा को संशोधित अथवा अवैध करार दिये जाने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। वादी द्वारा उक्त विक्रय पत्र को अवैध अनुचित व अप्रभावशील घोषित कराने की दाद चाही है। उक्त विक्रय पत्र अमान्य(वोईड) न होकर अमान्य करणीय (वोईडेबल) है और अमान्य करणीय विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार न्यायालय आप को न होकर दीवानी न्यायालय को है जिससे क्षेत्राधिकार के अभाव में प्रस्तुत वाद की सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। अपने तर्क की पुष्ठि में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण(प्रतिवादीगण) ने आरआरडी 1988 पेज 610 की माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन कराया। उक्त न्यायिक दृष्टांत जिसमें राजस्व न्यायालय जब

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तक राहत नहीं दे सकता है तब तक ऐसे विक्रय पत्र जो प्रारम्भ से ही शून्य न होकर अमान्य करणीय(वोईडेबल) हो तो ऐसे वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को माना अतः आदेश 07 नियम 10 जा0दी0 के तहत दावे को अदालत मजाज में पेश करने के लिये वापस लौटाने के निर्देश दिये। इसी प्रकार के न्यायिक दृष्टांत आरआरडी पेज संख्या 750 में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र को उचित माना। ऐसी स्थिति में जब तक वादी उक्त विक्रय पत्र को सक्षम दीवानी न्यायालय से अवैध घोषित नहीं कराते तक तक राजस्व न्यायालय इन्हे घोषणात्मक डिक्री जारी नहीं कर सकता । अतः प्रार्थी (प्रतिवादी) के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जावें। इसके खण्डन में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण(वादी) ने अपनी बहस में बताया की वादी वर्तमान में आराजीयात जैरबहस का संयुक्त खातेदार दर्ज अभिलिखित है एवं वादी द्वारा मात्र राजस्व रेकार्ड में अंकित नाम की शुद्धि हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है एवं राजस्व रिकार्ड में संशोधन हेतु न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उपस्थित हुआ है एवं राजस्व रिकार्ड में संशोधन का अनन्य अधिकार राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वादी को पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 27.03.2001 के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है जो कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज अभिलिखित है। इसके साथ वादी का मुख्य अनुतोष राजस्व रिकार्ड में शुद्धि का नहीं होकर पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 27.03.2001 में शुद्धि का होना पाया जाता है ऐसी स्थिति में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत एवं बहस पर चिंतन मनन करने पर हमारा स्पष्ट अभिमत है कि पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 27.03.2001 में संशोधन अथवा शुद्धि किये जाने का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है जिससे इस वादपत्र की सुनवाई का इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है एवं **Bard by Law** है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी(प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत दिनांक 11.12.2019 को स्वीकार किया जाता है। जिसके फलस्वरूप

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह वादपत्र इस न्यायालय में क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होना पाया जाता है, जिससे यह वादी का वादपत्र न्यायालय में क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से नामंजूर किया जाता है। वादी सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावें।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **06.02.2020** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(तेजस्वी राणा)(I.A.S)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनवान

बाबुलाल पिता लेहरू माली उम्र 52 वर्ष निवासी माली मौहल्ला चित्तौड़गढ़ तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़।

वादी

बनाम

1. रामलाल पिता गोकल माली उम्र वयस्क निवासी माली मौहल्ला चित्तौड़गढ़ तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
2. रामेश्वरलाल पिता नंदलाल माली उम्र वयस्क निवासी माली मौहल्ला चित्तौड़गढ़ तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
3. नंदलाल पिता धूकल माली उम्र वयस्क निवासी माली मौहल्ला चित्तौड़गढ़ तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
4. मांगीलाल पिता भंवरलाल माली उम्र वयस्क निवासी माली मौहल्ला चित्तौड़गढ़ तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
5. नगर परिषद् जरिये आयुक्त नगर परिषद् चित्तौड़गढ़।
6. श्री सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ ।

प्रतिवादीगण

–:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधिनियम, 1955 बाबत् खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती ::–

प्रकरण संख्या :– 044/2019
(RCMS 2019/00021)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रूबरू बहाजिरी **श्री सीएम जणवा** अधिवक्ता वादी **श्री छोगालाल जाट** अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 मिनजतिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वादपत्र न्यायालय में क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से नामंजूर किया जाता है। वादी सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र है। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **06.02.2020** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(तेजस्वी राणा)(I.A.S)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मिलान :			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयत	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबतईजराय हुक्मनामा			बाबतईजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

(तेजस्वी राणा)(I.A.S)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Tejasvi Rana
Date: 2020.02.09 14:29:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: